<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या 82 / 2021 (उदयपुर डिक्री)</u>

1. भीमराज पिता अमरा जी मीणा, निवासी पाराई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती सन्नु बाई पत्नी अमरा जी मीणा, निवासी पाराई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

1. जीवा पिता पूनमचन्द जी मीणा, निवासी पाराई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
2. राकेश पिता पूनमचन्द जी मीणा, निवासी पाराई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
3. विजय पिता पूनमचन्द जी मीणा, निवासी पाराई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
4. हाजा पिता मन्ना जी मीणा, निवासी पाराई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
5. रामा पिता मन्ना जी मीणा, निवासी पाराई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
6. नरेन्द्र पिता मन्ना जी मीणा, निवासी पाराई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
7. नान पिता अलका जी मीणा, निवासी पाराई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
8. मन्नालाल पिता सोमा जी मीणा, निवासी पाराई, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
9. सरकार जरिये तहसीलदार, सराडा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अ.–1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, सराडा दिनांक
08.09.2021 प्रकरण सं. 114 / 2015

———/———

<u>उपस्थित</u> :– 1. श्री आलोक जैन अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 10—03—2025</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:15 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पाराई, तहसील सराड़ा में साबिक आराजी नंबर 145/1, 151, 168, 179, 180, 182, 183, 600, 601, 615, 616 कुल किता 11 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, जिसके हाल आराजी नंबर 1116, 1121, 1206, 1207, 1470, 1475 से 1480, 160, 164, 1115, 1122, 1125, 1126 कुल किता 17 रकबा 2.3500 हैक्टर भूमि स्थित है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष भेरा जी थे, जिनके तीन पुत्र हीरा, मन्ना व अमरा हुए। हीरा फोत हो चुका है, जिसका पुत्र पूनमचन्द भी फोत हो चुका है, पूनमचन्द के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हैं। मन्ना के वारिस प्रतिवादी संख्या 4 से 6 हैं, जबकि वादीगण अमरा के वारिस हैं। इस प्रकार विवादित आराजियात में वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का 1/3 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु राजस्व रेकार्ड में भूमि बड़े पुत्र हीरा के नाम दर्ज हो गयी, जबकि वादीगण का भी 1/3 हिस्सा है। उक्त भूमि में से कुछ हिस्सा प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के पक्ष में विक्रय कर दिया गया है, जो वादीगण के मुकाबले शून्य प्रभावी है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात में वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08–09–2021 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील दिनांक 01–11–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक जैन उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:15 IST
Reason: SelfAttested

है, किन्तु मेवाड़ राज्य में प्रचलित परम्परा अनुसार बड़े पुत्र हीरा के नाम दर्ज हो गयी, जबकि भूमि भेरा के तीनों पुत्रों के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। कब्जा तीनों भाईयों का 1/3, 1/3 हिस्से पर चला आ रहा है। जो रेकार्ड अपीलान्ट को उपलब्ध हुआ वह अपीलान्ट/वादीगण द्वारा पेश किया गया था, किन्तु जो रेकार्ड उपलब्ध नहीं था, उसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को अवगत कराया गया था तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से वादीगण के वाद का कोई खण्डन भी नहीं हुआ था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने चार पीढ़ियों का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने का हवाला देते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्टगण को विवादित आराजियात के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर. डी. 1983 पेज 312 प्रस्तुत की।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट संवत् 2011 एवं जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 में साबिक आराजी नंबर 145/1, 151, 168, 179, 180, 182, 183, 600, 601, 615, 616 कुल किता 11 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि हीरा वल्द भेरा मीणा के नाम दर्ज है तथा मिलान क्षेत्र फल अनुसार उक्त साबिक नंबरों से हाल आराजी नंबर 1116, 1121, 1206, 1207, 1470, 1475 से 1480, 160, 164, 1115, 1122, 1125, 1126 बनना प्रकट होता है। उक्त हाल आराजी नंबर कुल किता 17 रकबा 2.3500 हैक्टर भूमि जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 में हीरा वल्म भेरा मीणा के नाम पर दर्ज है। इस संबंध में अपीलान्ट/वादीगण का कथन है कि मूल पुरूष भेरा जी थे, जिनके तीन पुत्र हीरा, मन्ना व अमरा हुए, किन्तु मेवाड़ राज्य में प्रचलित परम्परा अनुसार बड़े पुत्र हीरा के नाम दर्ज हो गयी, जबकि भूमि भेरा के तीनों पुत्रों के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। कब्जा तीनों भा[illegible] 1/3, 1/3 हिस्से पर चला

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:15 IST
Reason: SelfAttested

आ रहा है, किन्तु जो रेकार्ड अपीलान्ट को उपलब्ध हुआ वह अपीलान्टगण द्वारा पेश किया गया था, जो रेकार्ड उपलब्ध ही नहीं था, उसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को अवगत भी कराया गया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने संवत् 2011 से पूर्व का रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर अपीलान्टगण का वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। हम अधिवक्ता अपीलान्ट के उक्त कथन से सहमत हैं कि मेवाड़ राज्य में बड़े पुत्र के नाम भूमि दर्ज किये जाने की परम्परा होने के आधार पर संभवता भूमि हीरा के नाम दर्ज हो गयी हो, क्योंकि अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष जो खसरा पत्रक संवत् 2039 प्रस्तुत किया गया है, उसके अवलोकन से कब्जा प्रथम दृष्टया तीनों भाईयों का होना प्रकट होता है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 08–09–2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन अनुसार पक्षकारान की पुनः साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार विधि के आलोक में नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 05–05–2025 को उपस्थित रहें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:15 IST
Reason: SelfAttested